न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री हनुमानाराम, RAS)

राजस्व आवेदन संख्या 303 / 2024 अन्तर्गत धारा 251A RT Act.

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. भारतसिंह पुत्र शैतानसिंह 2. हिन्दूसिंह पुत्र शैतानसिंह 3. मोर कंवर पत्नी शैतानसिंह जाति राजपुत, निवासी सवाईसिंह की ढाणी तहसील शिव, जिला बाड़मेर		1. वरजूदेवी पत्नी नखताराम जाति सुथार, निवासी फतेहनाडा तहसील शिव, जिला बाड़मेर 2. उगीदेवी पत्नी गिरधारीराम जाति कुम्हार, निवासी बोथिया जागीर तहसील व जिला बाड़मेर 3. शाखा प्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा शिव 4. तहसीलदार शिव

उपस्थित :– अधिवक्ता प्रार्थीगण – श्री अभयसिंह राठौड़।
अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 3 – श्री बृजमोहन कुमावत।

–:: आदेश ::–

दिनांक : 18.12.2024

संक्षेप में आवेदन के तथ्य निम्न प्रकार है कि प्रार्थीगण का खातेदारी एवं कब्जासुदा खेत खसरा नम्बर 326 रकबा 3.7231 हैक्टेयर मौजा सवाईसिंह की बस्ती, तहसील शिव में आया हुआ है, जिसमें प्रार्थीगण के रहवासी ढाणी, टांका व मवेशियों के लिए बाड़े आदि बने हुए है। प्रार्थीगण को अपने खातेदारी जोत में आने जाने हेतु उससे लगते विप्रार्थीगण की खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 516 / 323, 323 रकबा क्रमशः 5.3418, 6.7987 हैक्टेयर मौजा सवाईसिंह की बस्ती, तहसील शिव में प्रार्थीगण के आवागमन हेतु नवीन रास्ता खुलवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रस्तावित भूमि विप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है। प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि में काश्त करने के लिए तथा कृषि कार्य के लिए ट्रेक्टर व अन्य साधन लाने व ले जाने हेतु उक्त प्रस्तावित रास्ते का ही उपयोग लिया जा रहा है। प्रार्थीगण को उक्त प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई निकटतम रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रस्तावित रास्ता आगे सड़क मार्ग से जुड़ने हेतु चाहा गया है। प्रार्थीगण का उक्त प्रस्तावित रास्ता नियमानुसार धारा 251 ए की सम्पूर्ण अर्हताएं पूरी करता है। अतः प्रार्थीगण का निवेदन है कि प्रार्थीगण के आवेदन को स्वीकार कर नियमानुसार बाद जांच उपरोक्तानुसार अपनी कृषि जोत में आने जाने हेतु नया रास्ता का आदेश फरमाया जावें।

प्रार्थीगण का आवेदन पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण को जरीये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार शिव से मौका रिपोर्ट तलब की जाकर प्राप्त की गई। तहसीलदार मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर उपस्थित पक्षकारों को नया रास्ता खोलने की जानकारी दी गई कि मौका फर्द के संलग्न नक्शा अनुसार प्रस्तावित मार्ग के अलावा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि तक पहुंचने का कोई अन्य रास्ता / विकल्प नहीं है। उक्त प्रस्तावित रास्ता निकटतम, लघुतम व सुगम है तथा आवागमन हेतु एकमात्र विकल्प है, जो आगे सड़क मार्ग से जुड़ता है। उक्त प्रस्तावित रास्ते हेतु मौजा सवाईसिंह की बस्ती, तहसील शिव में विप्रार्थीनी संख्या 1 के खसरा नम्बर 516 / 323 कुल रकबा 5.3418 हैक्टेयर में से रकबा 0.1453 हैक्टेयर तथा विप्रार्थीनी संख्या 2 के खसरा नम्बर 323 कुल रकबा 6.7987 हैक्टेयर में से रकबा 0.1443 हैक्टेयर भूमि उपयोग में ली जायेगी। उक्त रास्ते की चौड़ाई 03 गट्ठा है। विप्रार्थी संख्या 3 की ओर से अधिवक्ता द्वारा बैंक हित प्रभावित किये बिना उक्त रास्ता कटाण बाबत् सहमति प्रदान की गई। शेष विप्रार्थीगण बावजूद तामिली अनुपस्थित रहे है।

प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में आवेदन कि तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा अनुसार प्रस्तावित रास्ता धारा 251 ए के आत्यांतिक आवश्यकता, निकटंतम एवं अन्य प्रावधानों को पूरा करता है तथा उक्त प्रस्तावित रास्ता प्रार्थीगण को स्वीकार होने से तहसीलदार की मौका रिपोर्ट के संलग्न प्रस्तावित नक्शा अनुसार आवागमन हेतु नया रास्ता कटाण का आदेश फरमाया जावें। विप्रार्थी संख्या 3 की

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

Scanned with OKEN Scanner

ओर से जरिये अधिवक्ता बैंक हित प्रभावित किये बिना उक्त रास्ता कटाण बाबत् सहमति प्रदान की गई।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस को सुना एवं पत्रावली तथा तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया। तहसीलदार मौका रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त प्रस्तावित रास्ते हेतु मौजा सवाईसिंह की बस्ती, तहसील शिव में विप्रार्थीनी संख्या 1 के खसरा नम्बर 516/323 कुल रकबा 5.3418 हैक्टेयर में से रकबा 0.1453 हैक्टेयर तथा विप्रार्थीनी संख्या 2 के खसरा नम्बर 323 कुल रकबा 6.7987 हैक्टेयर में से रकबा 0.1443 हैक्टेयर भूमि उपयोग में ली जायेगी। मौका रिपोर्ट प्रार्थीगण की उपस्थिति में तैयार की गई है तथा प्रस्तावित मार्ग के अलावा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि तक पहुंचने का कोई अन्य रास्ता/विकल्प नहीं है। प्रस्तावित रास्ता निकटतम, लघुतम एवं सुगम विकल्प है, जो आगे सड़क मार्ग से जुड़ता है। उक्त प्रस्तावित रास्ते की चौड़ाई 03 गट्ठा है। प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा अनुसार रास्ता कटाण बाबत् सहमति प्रदान की गई है। चूंकि रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि विप्रार्थीनी संख्या 1 व 2 की खातेदारी भूमि होने तथा प्रार्थीगण को आत्यांतिक आवश्यकता होने पर रास्ते हेतु उपयोग में ली जाने वाली भूमि की वर्तमान डीएलसी दर से दुगुनी प्रतिफल राशि प्रार्थीगण द्वारा राजकीय खाता में जमा करवाई जाकर रास्ता कटाण किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः ऐसी स्थिति में तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा अनुसार प्रस्तावित रास्ता निकालने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण के खातेदारी एवं कब्जासुदा खेत खसरा नम्बर 326 रकबा 3.7231 हैक्टेयर मौजा सवाईसिंह की बस्ती, तहसील शिव की भूमि में आवागमन हेतु मौजा सवाईसिंह की बस्ती, तहसील शिव में विप्रार्थीनी संख्या 1 के खसरा नम्बर 516/323 कुल रकबा 5.3418 हैक्टेयर में से रकबा 0.1453 हैक्टेयर तथा विप्रार्थीनी संख्या 2 के खसरा नम्बर 323 कुल रकबा 6.7987 हैक्टेयर में से रकबा 0.1443 हैक्टेयर भूमि का वर्तमान डीएलसी दर से दुगुनी राशि का भुगतान प्रार्थीगण द्वारा राजकीय खाता में जमा किये जाने के बाद प्रस्तावित रास्ते की भूमि का सरकारी खाते में राजकीय भूमि के रूप में अमलदरामद एवं नक्शा ट्रेस में दुरस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु तहसीलदार शिव को आदेशित किया जाता है। साथ ही तहसीलदार शिव जमा की गई राशि का प्रमाण पत्र/रसीद अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। उक्त रास्ता सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवागमन हेतु खुला रहेगा। बैंक हित उक्त आदेश से अप्रभावित रहेंगे। तहसीलदार शिव द्वारा मौका फर्द के संलग्न प्रेषित प्रस्तावित नक्शा इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

(उपखण्ड अधिकारी, शिव, जिला-बाड़मेर — मुहर)

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) शिव
उपखण्ड अधिकारी शिव (बाड़मेर)

आदेश आज दिनांक 18.12.2024 को सरे इजलास सुनाया।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) शिव
उपखण्ड अधिकारी शिव (बाड़मेर)